

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सरकार बनाम अशोक देवी vs सुडी देवी गौड़

अन्तर्गत द्वारा 88-53 RTML मि0न0 144 / 2010

28.9.2010 आज यह वाद वादी द्वारा जरिमे वकील
प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्ट्र
है। प्रतिवादी गण को जरिमे मोरिस
तलब किया जावे। पत्रावली थारिदा
दिनांक 13/9/2010 को पेश है। उत्तर

13/9/2010 पत्रावली चेश / प्रतिवादी सु-ब. 1, 3, 4
5, 6, 7, 8, 16 व 17 को पुनः तलब
लेकर तलबी करं से पत्रावली दिनांक
29/10/10 को पेश है। उत्तर

29.10.10 पत्रावली पेश हुई, वकील वरी उत्तर।
प्रतिवादी 2 व 6 की रूप से हकीमजिद बिडा
वकील द्वारा पत्रावली पेश किया गया।
प्रतिवादी 8 व 11, 12, 13, 14, 18 व 19 की को
ले वकील की लाहिव आपला वरीन द्वारा UT.
शां पत्रावली की गंठ। अब प्रतिवादी का। व
7 की तलबी लाहिव प्राप्त गयी। पत्रावली वाद
इतना प्रतिवादी का व 7 है दिनांक 10/11/10 को
पेश है। उत्तर

दस्तावेज
प्रमाणित
क
संख्या
का
जिसे
उत्तर
प्रमाणित
क
उत्तर
क

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुकम
में ज

19.9.19

फरमावनी फ्रेम / वकील उरुपरच उपस्थित /
जवाब इनिशियल नही पूरा मे करे
अवकल डिपे जा पुने हो माफर एने 2000र
कोस्ट पर एक करिक अवकल डिपे जा गये
फरमावनी दिमांक 23/9/2019 का फ्रेम हो

Purjamb

23.9.19

पत्रावली पेशा / वार हंघ डंरा कार्य एवागित
र (पेशा गया है) पत्रावली पूरा नुमा दिमांक 24/10/19
को पेशा हो

Purjamb

24.10.19

फरमावनी फ्रेम / वकील उरुपरच उपस्थित /
जवाब इनिशियल नही एवापट्टा उरु
5000र कोस्ट पर करिक अवकल डिपे जा गये
फरमावनी दिमांक 21/10/2019 का फ्रेम हो

Purjamb

31/10/19

फरमावनी फ्रेम / वकील वादिमागण उपस्थित /
नही / ना ही वादिमागण स्वंग उपस्थित /
वार-2, एक-2 भावाजे लगाई गई लेकिन
कोई उपस्थित नही आया / भाव: फरमावनी
भाड्य हालती एवे भाड्य फरेवी मे खारिन
की जाती है / फरमावनी फ्रेम कमुम होकर
हाकिम इफर हो

आदेश पुनाया गया

Purjamb
पियला रत्निका (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर